

प्राचीन

श्री आदोक माँगुली,  
स्मृति तत्त्विक  
उत्तर प्रदेश गोकर्ण ।

तेवा ५

महाराजा  
तत्त्विक  
श्री आदोक माध्यमिक शिक्षा परिषद्  
गोकर्ण २ अक्टूबर १९९६  
प्रीति विद्यार नई दिल्ली ।

सिवा १७१ अनुभाग

तात्पुरः टिक्का: २५ अक्टूबर, १९९६

विषय:- CTCA केम डी०सी० विजिक स्कूल टी०सी०स० बबराता बदायूँ को शी०सी०स० इ० नई दिल्ली से तम्बता हुए उनापाति प्रमाण पर दिया जाने को बढ़ावा दें।

महोदय

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह लगते कि श्री आदोक माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से तम्बता प्रदान किये जाने में इस राज्य तराकार को निम्न निवित प्रतिक्रियाएँ हैं अन्त जापाति नहीं है :-

111. विद्यालय की पंचीज्ञा तोसाथटी का अप्रत्यक्ष पर नवीनीकरण छाया जायेगा ।

121. विद्यालय की प्रबन्ध तमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक गदाय दीया ।

131. विद्यालय में अम से अम द्वारा प्रतिक्रिया स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनसाहित के बच्चों के लिए तुरंत रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा तैयारित विद्यालयों में विभिन्न कारों के लिए नियारित हुए ते अधिक हुए नहीं लिया जायेगा ।

141. अंत्या द्वारा राज्य तराकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से ऐसी शिक्षा परिषद् से जान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की तम्बता बेंचीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कोलंग कार दि इण्डियन स्कूल टी०सी०स० के लिए नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषद् ने तम्बता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से जान्यता तथा राज्य तराकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

151. अंत्या के लिए शिक्षा एवं साक्षात्कार कमितियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षा तैर्यातों के अधिकारियों को अनुमन्य ऐतनामानों तथा अन्य नामों से कम ऐतनामान तथा अन्य सर्तें नहीं दिये जायेंगे ।

161. अंत्यारियों को तेवा तर्फे जायेगी और उन्हें तराकार प्राप्त आत्मीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अधिकारियों की अनुमन्य

तेवा निवृत्ति का नाम उपराज्य कराये जाएगी ।

17। राज्य सरकार द्वारा तस्य सम्बन्ध पर जो भी आदेश निर्गत हो  
जाएगे तंत्रपा उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पुस्तक/विद्यालय में रहा जायेगा

19। उपर शास्त्रों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई  
परिवर्तन/लोकोप्ति पा परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध वह भी होगा जो तंत्रपा द्वारा वह तुनियित किया जाय  
कि निजी भूमि पर मानव के अनुभव में का निर्माण हर तंत्रपा द्वारा जातन  
को उपरत छोड़ा जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन इसका तंत्रपा के लिए उनियार्थ होगा और  
वह जिसी सम्बन्ध पर वाया जाता है जो तंत्रपा द्वारा उपर त्रिवन्धों का  
पालन नहीं किया जा रहा है उपराज्य पालन करने में जिसी प्रकार की घूर्खला  
त्रिवितता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा इटत उनावस्ति  
प्रमाण पत्र वापस ते किया जायेगा ।

भवदीय,

अगोद गाँगली ।  
तंत्रपा तंत्रिव ।

पठमो 3773111/15-7-1996 द्वितीय

प्रतिविष्टि निम्नलिखित जो तृष्णार्थ स्व आवश्यक कार्यालयी लेतु  
प्रविष्ट :-

1- किया निरेश, उत्तर प्रदेश, नवनज ।

2- कर्त्तव्यीय तंत्रपा किया निरेश, बरेली ।

3- किया विद्यालय निरीक्षक बदायूँ ।

4- निरीक्षक, बींगल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, नवनज ।

✓ 5- प्रबन्धक, CTCA कैम डी० स० वी० पर्सिक रुम टी० स० बराला बदायूँ ।

आशा है,

अगोद गाँगली ।  
तंत्रपा तंत्रिव ।